



सप्तदश बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-15.03.2022 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

1. श्री अजय कुमार,
संवि०सं०
श्री समीर कुमार महासेठ,
संवि०सं०
श्री भारत भूषण मंडल,
संवि०सं०
श्री सउद आलम,
संवि०सं०
श्री हरिशंकर यादव,
संवि०सं०
श्री सुर्यकान्त पासवान,
संवि०सं०

“बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या-02/2022 के आलोक में प्रधानाध्यापक पद की बहाली निकाली गई है, जिसमें शिक्षकों की अर्हता के लिए कॉडिका-03 के उपकॉडिका-V के (क) और (ग) में वर्णित योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण प्राप्ति की तिथि, जो बाद में हो से उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के लिए 8 वर्ष एवं माध्यमिक शिक्षकों के लिए 10 वर्ष रखी गई है, जिसके कारण अधिकांश शिक्षकों को अनुभव संबंधी अर्हता का लाभ नहीं प्राप्त हो सकेगा। यह गंभीर असमानता है, जबकि अप्रशिक्षित एवं प्रशिक्षित शिक्षक दोनों के योगदान की तिथि समान होने के कारण शैक्षणिक अनुभव बराबर होता है।

शिक्षा /
सामान्य
प्रशासन

अतः शिक्षकों के हित में विज्ञप्ति संख्या-02/2022 के उक्त कॉडिका में उल्लिखित अवाधि की गणना का प्रावधान में संशोधन कर शैक्षणिक अनुभव की अर्हता के लिए सिर्फ योगदान की तिथि को लागू करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।”

2. श्री ऋषि कुमार,
संविंसं
श्रीमती वीणा सिंह,
संविंसं
श्री राजीव कुमार उर्फ
मुन्ना यादव,
संविंसं
श्री राहुल तिवारी,
संविंसं
श्रीमती प्रतिमा कुमारी,
संविंसं
श्री मनोज मंजिल,
संविंसं
श्री मोहम्मद कामरान,
संविंसं
श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ
सुदय यादव,
संविंसं

“वर्ष-2021 में आयोजित टोक्यो कला, संस्कृति एवं युवा पैरालंपिक गेम में बिहार राज्य निवासी श्री शरद कुमार, जिला-मुजफ्फरपुर एवं श्री प्रमोद भगत, जिला-वैशाली ने भारत के लिए क्रमशः कांस्य एवं स्वर्ण पदक जीता था, जिसके लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार एवं ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। इसके अतिरिक्त दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, परन्तु अभी तक राज्य सरकार द्वारा उन खिलाड़ियों को किसी प्रकार के पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है।

अतः उक्त वर्णित खिलाड़ियों को राज्य सरकार द्वारा सम्मानित करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।”

शैलेन्द्र सिंह

सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्यांप्र०-11/2022-

/ विंसं, पटना, दिनांक-

मार्च, 2022 ई०।

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(विमलेन्दु भूषण कुमार)

अवर सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्यांप्र०-11/2022-

1285 / विंसं, पटना, दिनांक- 14 मार्च, 2022 ई०।

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्रीगण के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(विमलेन्दु भूषण कुमार)

अवर सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-11/2022- 1285 / वि०स०, पटना, दिनांक- 14 मार्च, 2022 ई० ।


प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / शिक्षा विभाग / सामान्य प्रशासन विभाग तथा कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


(विमलेन्दु भूषण कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-11/2022- 1285 / वि०स०, पटना, दिनांक- 14 मार्च, 2022 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं संयुक्त सचिव के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सचिव एवं संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।


(विमलेन्दु भूषण कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।


14.3.22